देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

दिनांक : 04.10.19

अधिसूचना संख्या 1022 /भू अ०

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–चिकनिया, थाना–सारठ, थाना सं०–517, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **चितरा (ठाढ़ी) से मिश्राडीह (सारठ) भाया विरमाटी पथ निर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–चिकनिया, थाना–सारठ, थाना सं०–517, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.09** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16	1	रैयती	बाड़ी–2	0.23	सागर पोद्दार वो परमेश्वर कुमार पे० मोदी पोद्दार वो अकलेश पोद्दार पे० जयनाथ पोद्दार वो विक्की पोद्दार पे० दिलीप पोद्दार वो उमा पोद्दार पे० धनेश्वर पोद्दार वो राधा पोद्दार वो वासुदेव पोद्दार वो सोखी पोद्दार पे० झगरू पोद्दार अंश समान सा० देह।	मौजा ठाढ़ी बरमशोली	अर्जित दाग का अंश	ठाढ़ी	अर्जित दाग का अंश।
2	16	228	रैयती	धानी–1	0.05	सागर पोद्दार वो परमेश्वर कुमार पे० मोती पोद्दार वो अकलेश पोद्दार पे० जयनाथ पोद्दार वो विक्की पोद्दार पे० दिलीप पोद्दार वो उमा पोद्दार पे० धनेश्वर पोद्दार वो राधा पोद्दार वो वासुदेव पोद्दार वो सोखी पोद्दार पे० झगरू पोद्दार वो जयलाल पोद्दार पे० द्वारिका पोद्दार वो सुभाष पोद्दार पे० प्यारीलाल पोद्दार अंश समान सा० देह।				
3	13	2	रैयती	बाड़ी–2	0.08	बालेश्वर पोद्दार वो हरि पोद्दार सा० देह।				
4	13	5	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
5	13	3	रैयती	बाड़ी–2	0.05	बद्री पोद्दार पे० भूषण पोद्दार वो राजेन्द्र पोद्दार वो अशोक पोद्दार पे० दीपक पोद्दार। अंश समान सा० देह।				
6	13	4	रैयती	बाड़ी–2	0.14	बालेश्वर पोद्दार पे० हरि पोद्दार वो बद्री पोद्दार वो भूषण पोद्दार वो राजेन्द्र पोद्दार वो अशोक पोद्दार, पे० दीपक पोद्दार। अंश समान सा० देह।				
7	21	8	रैयती	बाड़ी–2	0.30	पशुपति पोद्दार उर्फ विनोद पोद्दार पोष्यपुत्र पे० स्व० तारणी पोद्दार वो बालेश्वर पोद्दार माता भोथरी देवी। अंश समान सा० देह।				

8	21	6	रैयती	बाड़ी–2	0.19	हरिशंकर पोद्दार वो खुदू पोद्दार वो फणी पोद्दार वो मुनेश्वर पोद्दार वो प्रकाश पोद्दार वो भोला पोद्दार पे० राम पोद्दार। अंश समान सा० देह।				
9		241	रैयती		0.01	मुस्तवाहा				
				कुल रकवा–	**1.09**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

5/10/19
जिला भू अर्जन पदाधिकारी

04-10-19
अपर समाहर्त्ता
देवघर

4/10/19
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1022 देवघर/भू अ०, देवघर, दिनांक 04.10.19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

04-10-19
अपर समाहर्त्ता
देवघर

4/10/19
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

5/10/19
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर